

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1940/2013/जयपुर.

मैसर्स श्याम इंजीनियरिंग,

ए-94, सरस्वती नगर, मालवीय नगर, जयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन)-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

2. सहायक आयुक्त, वार्ड-V, वृत्त-जे, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी. के. कासलीवाल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/10/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश संख्या प.5()कर/उपा/प्रशा-II/2013-14/3157 में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.07.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रशासनिक अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय वृत्त-जे, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24(4) के अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2009 के विरुद्ध वैट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है, जिसे इस अपील में विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मैसर्स श्याम इंजीनियरिंग टिन नं. 08041608839 का वर्ष 2006-07 के लिये वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2009 को पारित किया गया। पारित कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध वैट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2011 को प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में पेश किया गया जिसकी सुनवाई दिनांक 10.06.2013 को की गई। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि एकतरफा आदेश प्राप्ति के 30 दिवस में पेश किया जाना आवश्यक है तथा इसे धारा 34 में अनुमत समयावधि के पश्चात पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रस्तुत अपील में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा धारा 34 में अस्वीकार किये गये प्रार्थना पत्र को विवादित किया गया है।




लगातार.....2

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि दोनों निम्नतर अधिकारियों के आदेश त्रुटिपूर्ण हैं। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश की सर्विस दिनांक 24.11.2011 के स्थान पर दिनांक 29.09.2011 मानना त्रुटिपूर्ण है तथा इस आधार पर धारा 34 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करना अविधिक है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.11.2011 को धारा 34 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को समय सीमा के बाहर मानना त्रुटिपूर्ण है। बहस में आगे विद्वान अभिभाषक ने कथन करते हुए प्रशासनिक अधिकारी के आदेश को अपास्त करने की मांग की तथा अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।
4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के आदेश का समर्थन किया।
5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 34 का अध्ययन आवश्यक है। वैट अधिनियम की धारा 34 निम्न प्रकार है :-

34. Reopening of ex-parte assessment.-

- (1) Where an assessment has been made ex-parte under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27, **the Deputy Commissioner (Administration) may, on the application of the dealer made within thirty days of the date of service of the notice of demand in consequence of such assessment along with such fee as may be prescribed,** by an order direct the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, to cancel the assessment and proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law.
- (2) Before issuing direction under sub-section (1), the Deputy Commissioner (Administration) should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27 or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him for assessment.




लगातार.....3

(3) Where the order for cancellation of the assessment under sub-section (1) has been passed, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, shall make fresh assessment within sixty days from the communication of the order passed by the Deputy Commissioner (Administration) under sub-section (1).

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2009 को पारित किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 27.09.2011 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 29.09.2011 को आदेश दिनांक 31.03.2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रदान करने बाबत अंकन करते हुए प्रमाणित प्रति जारी किये जाने सम्बन्धी आदेश पर हस्ताक्षर किये गये हैं, किन्तु इस पर अपीलार्थी के प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक 24.11.2011 के हैं। प्राप्ति दिनांक में कुछ कांटछांट अवश्य है, किन्तु इससे यह नहीं माना जा सकता कि व्यवहारी को दिनांक 29.09.2011 को ही आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हो गयी थी। कर निर्धारण आदेश की प्रति नवम्बर, 2011 में ही जारी किया जाना स्पष्ट है, किन्तु दिनांक में कुछ परिवर्तन किया गया है। इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी की आदेशिका दिनांक 29.09.2011 में भी कुछ कांटछांट की गयी है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में की गयी कांटछांट के आधार पर प्रथम दृष्टया संदेह का लाभ अपीलार्थी व्यवहारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. उक्त विवेचन अनुसार यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी को कर निर्धारण आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 24.11.2011 को प्रदान की गयी तथा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.11.2011 को प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष एकतरफा कर निर्धारण आदेश को रीओपन करने हेतु वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया, जो कि स्पष्टतया नियत समयावधि में शुमार होता है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र को मियाद बाहर मानते हुए अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।


8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रशासनिक अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2013 एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 31.03.2009 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह व्यवहारी को



लगातार.....4

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस आदेश प्राप्ति के 60 दिवस में नियमानुसार पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह वांछित दस्तावेज/साक्ष्य सहित दिनांक 02/11/2016 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

9. निर्णय सुनाया गया।


04.10.2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य